हिन्दुस्तान धनबाद - 20/07/2024
www.livehindustan.com

पानी का बिल देर से भुगतान करने में विभाग लगाता है सरचार्ज

सरचार्ज कम कर कई कर्मी लगा रहे झमाडा को चूना

एक्सक्लूसिव

■ रौशन कुमार सिन्हा

धनबाद। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) के कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ मिलकर डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) कम करके विभाग को चूना लगा रहे हैं। इससे झमाडा को राजस्व की हानि हो रही है। डीपीएस कम करने में अधिकारी का हस्ताक्षर तक बिल में नहीं हो रहा है। इसका लाभ कई कर्मचारी उठा रहे हैं। कर्मी 75-85 प्रतिशत तक डीपीएस कम कर दे रहे हैं। आरोप है कि उपभोक्ताओं से सुविधा शुल्क लेकर कर्मी डीपीएस कम कर दे रहे हैं।

27 हजार के सरचार्ज को बना दिया 67 सौः बस्ताकोला के एक निजी विद्यालय शिशु विहार में प्राचार्य के नाम से पानी का कनेक्शन है। इसका मीटर नंबर 491 व डीपी संख्या 329 है। पानी का बिल 32,807 रुपए था। इसमें डीपीएस 26,789 रुपए. लगाकर कुल 59,576 का बिल पांच अगस्त 2023 को दिया गया था। 12 दिसंबर को जलदर शाखा के प्रधान सहायक ने करीब 75 प्रतिशत बिल में लगा डीपीएस कम करके 6692 रुपए लगाकर उपभोक्ताओं को 39,499 रुपए का बिल दिया जबकि पानी के बिल में वही राशि थी। सिर्फ डीपीएस कम किया गया।

17 हजार को बनाया दिया तीन हजार : झरिया की कालीपट्टी निवासी पुतली देवी की मीटर संख्या 220/2 डीपी संख्या 1726 है। उन्हें 42,114 रुपए का बिल दिया। पानी का बिल 24,553 और डीपीएस 17,661 रुपए करके तीन अप्रैल 2024 को बिल दिया गया। आरोप है कि उपभोक्ता ने कर्मचारियों के साथ मिलकर 27 जून को दूसरा बिल बनवाया। इसमें पानी का बिल 28,603 और डीपीएस 2939 रुपए लगाकर उपभोक्ता का दूसरा बिल दिया गया। इसी तरह से बिल में डीपीएस कम किया गया। यह सभी बिल में डीपीएस प्रधान सहायक के हस्ताक्षर से लगा है।

> बिल में डीपीएस कम कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। गलत तरीके डीपीएस कम करने वाले संबंधित कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
> – प्रकाश कुमार, सचिव झमाडा

38 हजार के सरचार्ज को घटा कर 59 सौ कर दिया

झरिया के कोयरीबांध निवासी विद्या देवी की मीटर संख्या 560/1 और डीपी संख्या 2753 है। उन्हें 11 जुलाई 2023 को 79,956 रुपए का पानी बिल दिया गया। इसमें 41,257 रुपए का पानी का बिल और 38,699 रुपए डीपीएस लगा था। अधिक डीपीएस लगने पर उपभोक्ता ने प्रधान सहायक से मिलकर पानी के बिल में कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन डीपीएस 85 प्रतिशत कम करके उन्हें 47,150 रुपए का फाइनल बिल 16 अगस्त 2023 को दिया गया। इसमें 5,897 रुपए का डीपीएस लगाया और पानी का बिल 41,253 रुपए का दिया।

ओपीडी

एसएनएमएमसीएच
मेडिसिन : डॉ. एजे अंसारी
चर्म रोग : डॉ. एसके मंडल
हड्डी रोग : डॉ. वीपी सिंहा
सर्जरी : डॉ. अनिल कुमार
नेत्र : डॉ. यूएस सिंह
ईएनटी : डॉ. जयंत चक्रवर्ती
दंत रोग : डॉ. एके शिवम
शिशु रोग : डॉ. अविनाश कुमार
ओएसटी : डॉ. विभूति नाथ
स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग : डॉ. प्रियंका चौधरी
कैंसर : डॉ. अरुण कुमार और डॉ. एसके वर्मा

कोर्ट नोटिस

न्यायालय श्रीमान सिविल जज वरीय कोटि संख्या 2, धनबाद
ओरिजिनल सूट 80/2023

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड .... वादी
बनाम्
राम साही रवानी व अन्य .... प्रतिवादी

1. राम साही रवानी, पिता बुटन रवानी
2. भूखल रवानी, पिता - ज्ञान चन्द्र रवानी, दोंनो साकिम - बरवाबेड़ा, पोस्ट - नवागढ़, थाना बरोरा, जिला - धनबाद, झारखण्ड - 828306

प्रस्तुत इश्तहार के माध्यम से आप दोनों को सूचित किया जाता है कि वादी द्वारा आप लोगों के विरूद्ध जमीन संबंधित एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें नोटिस का तामिला किया जा चुका है, और आपकी उपस्थिति हेतु निर्धारित है।

अतः इस प्रस्तुत इश्तहार के माध्यम से आपलोगों को आदेश दिया जाता है कि आप दिनांक 25-07-24 को दिन के 10.30 am बजे मेरे न्यायालय में खुद या अपने किसी विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा यह न्यायालय आपके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही निर्धारित करेगी।

दिनांक 13.06.24

ह0/- आदेशानुसार
सिविल जज वरीय कोटि
द्वितीय, धनबाद

यह सूचना बीसीसीएल की वैबसाइट www.bcclweb.in पर भी उपलब्ध है।

रंगदारी न

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। बिग बाजार के सामने पिछले दस वर्षों से फुटपाथ पर अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें लगाई जा रही हैं। पार्किंग का टेंडर लेने वाले संवेदक प्रति दुकान पांच हजार रुपए महीने रंगदारी वसूलते हैं। इस बार दुकानदारों ने रंगदारी देने से इंकार किया तो उनके साथ मारपीट करते हुए दुकानों के आगे बड़े-बड़े बैनर टांगकर उसे अघोषित रूप से बंद कर दिया। इसकी लिखित शिकायत दुकानदारों ने डीसी और नगर आयुक्त से की है।

बिग बाजार के सामने ठेले पर अपनी दुकान चलाने वाले गनी सरदार, जीतू, बबलू मंडल ने जब रंगदारी देने से इंकार किया तो इनके साथ मारपीट की गई। दुकानदारों का आरोप है कि राजेंद्र

छेड़खानी का विरो

धनबाद। छेड़खानी का विरोध करने पर मनईटांड़ छठ तालाब के रहने वाले, मां-बेटे की पिटाई कर दी। घटना शुक्रवार की है। दोनों को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने धनसार थाने में मनईटांड़ के ही रहनेवाले सुधीर साव और उसके भतीजे के खिलाफ शिकायत की है। महिला ने बताया कि पड़ोस में रहने